रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 990] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2015/वैशाख 22, 1937
No. 990] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2015/VAISAKHA 22, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2015

का.आ.1268(अ).—पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 16(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जन हित में पेट्रोलियम आयात की जरूरत पर विचार करते हुए एतद्द्वारा 07.05.2015 से 6.5.2018 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए समुद्री मार्ग से भारत में पेट्रोलियम का आयात करने के लिए गुजरात में पिपवाव पत्तन (एपीएम टर्मिनल) को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. पीडी–26018/2/2013–एमपी]
एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2015

S.O.1268(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16 (1) of the Petroleum Rules, 2002, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby notifies Pipavav Port (APM Terminals) in Gujarat for importing petroleum within India by sea for a period of three years from 7.5.2015 to 6.5.2018.

[F. No. PD-26018/2/2013-MP]
N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.